



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244697
CG-DL-E-25032023-244697

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/ चैत्र 3, 1945

No. 68]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

[मामला सं. एडी (एसएसआर) 01/2023]

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेट बेस स्टील व्हील्स" के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के संबंध में।

1. फा. सं. 7/02/2023- डीजीटीआर .—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियम" या "पाटनरोधी नियम" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स व्हील्स इंडिया लि. और मैसर्स स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लि. (इसके बाद इन्हें "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (इसके बाद इसे संबद्ध देश के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेट बेस स्टील व्हील्स" (इसके बाद इसे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तुएं" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इन्हें "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, जब तक कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को पहले से हटा न लिया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति होने पर वह निष्प्रभावी हो जाएगा, अतः प्राधिकारी को इस बात की समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से एक विधिवत साक्ष्य सहित अनुरोध किए जाने के आधार पर कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है।

क. विगत मामलों की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी ने मूल जांच शुरू की है और दिनांक 28 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/08/2005-डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्लेट बेस स्टील व्हील्स के आयात के संबंध में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया है। तदोपरान्त केन्द्र सरकार ने दिनांक 31 दिसंबर, 2007 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 124/2007-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाए। उसके बाद, प्राधिकारी ने प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और दिनांक 20 फरवरी, 2013 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/22/2011-डीजीएडी के तहत उसके अंतिम जांच परिणामों में संबंध वस्तुओं पर शुल्कों के समय विस्तार की सिफारिश की। प्राधिकारी ने उसके बाद, संबद्ध वस्तुओं के संबंध में दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और दिनांक 9 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 07/01/2018-डीजीएडी के तहत शुल्कों के समय विस्तार की सिफारिश करते हुए उसके अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया। यह शुल्क संबंधी सिफारिश दिनांक 13 सितंबर, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 46/2018-सीमाशुल्क के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वहीं है, जो मूल और उसके बाद की समीक्षा जांचों में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है :-

" 11. विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "वाणिज्यिक वाहनों में ट्यूब टायर अनुप्रयोग में 16" नॉमिनल डायामीटर से 20" नॉमिनल डायामीटर तक के साइज के प्लेट बेस स्टील व्हील्स" (संबद्ध वस्तुएं) हैं।

12. प्लेट बेस स्टील व्हील्स एक डिमाउंटेबल रिंग के साथ रिम और डिस्क की एसेंबली हैं। रिम और डिस्क पृथक लाइनों में उत्पादित होते हैं और एक व्हील के रूप में साथ में वेल्ड किए जाते हैं, जो वाहनों के एक्सलों पर माउंट किए जाते हैं और टायरों के साथ फिट किए जाते हैं ताकि वाहन संचलन हो सके। वाणिज्यिक वाहनों में ट्रक, ट्रालर, ट्रैम्पो आदि सहित बसें और लारियां शामिल हैं। व्हील को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और आईटीसी एचएस वर्गीकरण के उप शीर्ष 8708.70 के अंतर्गत "रेलवे अथवा ट्रामवे रोलिंग स्टॉक और तत्संबंधी पुर्जों एवं कलपुर्जों के अलावा अन्य वाहनों" की श्रेणी के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 87 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे में किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।"

5. वर्तमान जांच, चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वहीं रहा जो विगत में की गई जांच में परिभाषित किया गया है।

ग. पीसीएन प्रणाली

6. इस जांच के सभी हितबद्ध पक्षकार, पीसीएन के निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के जारी होने से 20 दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।

घ. समान वस्तु

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयात किया गया उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय है। प्राधिकारी ने मूल जांच में यह पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद

के समान वस्तु हैं। वर्तमान आवेदन मूल शुल्क के विस्तार की समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान व मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान है, अतः प्रथम दृष्टया यह मान लिया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की गई संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तुएं "समान वस्तु" हैं।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

8. यह आवेदन मैसर्स व्हील्स इंडिया लि. (डब्ल्यू आई एल) तथा मैसर्स स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लि. (एसएसडब्ल्यूएल) द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही अन्य भारतीय उत्पादक है, जिसका नाम मैसर्स कल्याणी मैक्सियन व्हील्स प्रा. लि. है, जो कि समान वस्तु के उत्पादन में शामिल है। आवेदकों ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और न ही वे भारत में संबद्ध देश से किसी निर्यातक/उत्पादक अथवा आयातक से संबद्ध हैं।
9. उपरोक्त को देखते हुए और विधिवत जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा करता है।

च. संबद्ध देश

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

छ. पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

11. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. से वर्तमान में कोई पाटन नहीं है और यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में चीन से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आवेदक ने ऐसी कीमत के आधार पर पाटन की संभावना का दावा किया है, जिस पर वस्तुएं चीन से विभिन्न देशों को वैश्विक स्तर पर निर्यात की गई हैं, जैसा कि विचाराधीन उत्पादन के लिए द्वितीयक सूचना स्रोतों में सूचित किया गया है।
12. घरेलू उद्योग को चीन के उत्पादकों की महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई क्षमताओं की मौजूदगी, जो कि भारतीय बाजार को हथियाने के लिए पर्याप्त होगी, चीन के उत्पादकों के अत्यधिक निर्यात अभिमुखी होने, अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं के पाटन, आयातों के ह्रासकारी प्रभाव की संभावना और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और भारतीय उद्योग की निरंतर संवेदनशीलता के कारण घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना का एक प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।
13. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने की स्थिति में, पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाती है।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

14. आवेदकों के विधिवत साक्ष्य सहित आवेदन के आधार पर और स्वयं संतुष्ट होने के बाद, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना के प्रमाण सहित और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने के लिए यह जांच करने के लिए समीक्षा की जा सके कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

झ. जांच की अवधि

15. आवेदकों ने जांच की अवधि के रूप में 1 अक्टूबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022 (12 माह) तक की अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के रूप में 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 (12 माह) तक की अवधि पर विचार करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तक की अवधि और जांच की अवधि को क्षति अवधि के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जांच की अवधि से आगे के आंकड़ों की भी जांच की जाए ताकि पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण किया जा सके।

ज. प्रक्रिया

16. वर्तमान समीक्षा जांच में दिनांक 28 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/08/2005-डीजीएडी, दिनांक 28 नवंबर, 2007 की अधिसूचना सं. 15/22/2011-डीजीएडी, दिनांक 20 फरवरी, 2013 और दिनांक 09 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 7/1/2018-डीजीएडी के तहत प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का भी विश्लेषण करेंगे।
17. उक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 के प्रावधान इस जांच में यथोचित परिवर्तनों सहित स्वतः लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

18. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार, ई-मेल पतों adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर करने चाहिए, जिसकी प्रति jd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस फार्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।
19. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को, नीचे उल्लिखित की गई समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना विहित प्रपत्र में और विहित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और विहित ढंग से, इस जांच से संगत अपने अनुरोध, ऊपर पैरा-18 में दिए गए पतों पर प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

ठ. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर करने चाहिए, जिसकी प्रति jd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

25. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है तो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।
29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीय होने का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि इसका सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ की प्रति के 7 दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर उनकी टिप्पणी को भेज सकते हैं।
30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार ऐसी सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ निहित हो। सार्वजनिक फाइल को इलैक्ट्रॉनिक मोड में रखने की प्रविधियां तैयार की जा रही हैं।

ण. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2023

[Case No. AD (SSR)-01/2023]**Subject: Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on import of “Flat Base Steel Wheels” originating in or exported from China PR.**

1. **F. No. 7/02/2023-DGTR** .— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), M/s Wheels India Ltd. and M/s Steel Strips Wheels Ltd. (hereinafter referred to “applicants” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), for sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of “Flat Base Steel Wheels” (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition the Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of the previous investigations

3. The Authority initiated original investigation and notified final findings recommending definitive anti-dumping duty on import of Flat Base Steel Wheels originating in or exported from China PR vide Notification No. 14/08/2005-DGAD, dated 28th November 2007. The Central Government thereafter imposed anti-dumping duties vide Customs Notification No. 124/2007-CUS dated 31st December 2007. Subsequently, the Authority initiated the 1st Sunset review investigation and recommended the extension of the duties on the subject goods in its final findings vide Notification No. 15/22/2011-DGAD, dated 20th February 2013, wherein the duties were enhanced, and the unit of duties were changed from INR to USD. These duties were imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 3/2013-CUS, dated 26th March 2013. The Authority, thereafter, initiated the 2nd Sunset review investigation on the subject goods and notified its final findings recommending extension of duties vide Notification No. 07/01/2018-DGAD, dated 09th August 2018. This duty recommendation was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 46/2018-Customs, dated 13th September 2018. The duties are set to expire on 12th September 2023.

B. Product Under Consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original and subsequent review investigations which is as follows:

“11. *The product under consideration is “Flat base Steel Wheels of size 16” nominal diameter to 20” nominal diameter used in tubed tyre application in commercial vehicles” (the subject goods), originating in or exported from China PR.*

12. *Flat base steel wheels are assembly of rim and disc with a demountable ring. Rims and discs are produced in separate lines and welded together to form a wheel, which is mounted on the axles of vehicles and fitted with tyres to enable vehicle movement. Commercial vehicles comprise of buses, lorries including trucks, trailers, tempos, etc. Wheels are classified under Chapter 87 of the*

Customs Tariff Act under the category of “vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof” under the sub-heading 8708.70 of the Customs Tariff Act and ITC HS classification. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.”

5. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.

C. PCN System

6. All interested parties to the investigation may provide their proposal for construction of PCNs, if any, within 20 days from the issue of this notification.

D. Like Article

7. The applicants have claimed that there is no difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority in the previous investigation held that the products being manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration for the present and original investigation are same, it is *prima facie* considered that the subject good produced by the domestic industry and the subject good imported from the subject country are "like article".

E. Domestic Industry and standing

8. The application has been filed by M/s Wheels India Ltd. (WIL) and M/s Steel Strips Wheels Ltd. (SSWL). There is only one other Indian producer of the subject goods namely M/s Kalyani Maxion Wheels Private Ltd. which is engaged in the production of the like article. The applicants have certified that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter/producer from the subject country or importers in India.
9. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules *supra*.

F. Subject country

10. The country involved in the present sunset review investigation is China PR.

G. Likelihood of continuation or recurrence of dumping

11. The applicant has claimed no current dumping from China and has submitted that dumping is likely to recur from China in case of cessation of ADD. The applicant has claimed likelihood of dumping on the basis of the price at which goods have been exported from China to various countries globally, as reported in secondary sources information for the product under consideration.
12. There is a *prima facie* evidence of likelihood of dumping, and injury to the domestic industry on account of presence of significant and growing capacities of Chinese producers which would be sufficient to capture the Indian market, high export orientation of Chinese producers, dumping of the subject goods into third countries, likely suppressing impact of imports and likely injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties, price attractiveness of Indian market, and continued vulnerability of the Indian industry.
13. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows likelihood of dumping and injury to domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty from the subject country.

H. Initiation of sunset review investigation

14. On the basis of the duly substantiated application of the applicants, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicants, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties

in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

I. Period of Investigation

15. The applicants have proposed 1st October 2021 to 30th September 2022 (a period of 12 months) as the period of investigation. However, the Authority proposes to consider the POI as 1st January 2022 to 31st December, 2022 (12 months). The period 2019–20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation has been proposed as the injury period. The data beyond the period of investigation may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.

J. Procedure

16. The present review investigation covers all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/08/2005-DGAD, dated 28th November 2007, Notification No. 15/22/2011-DGAD, dated 20th February 2013, and Notification No. 7/1/2018-DGAD, dated 09th August 2018. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury.
17. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 of the Rules supra shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

K. Submission of Information

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in with copy to jd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
19. The known exporters in the subject country, the Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below on the email addresses mentioned in Para 22 above.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

L. Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in with copy to jd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

O. Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority